रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2128] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 2014/आश्विन 26, 1936
No. 2128] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 2014/ASVINA 26, 1936

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2677(अ).——केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अर्जन अधिकारी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक रुप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि सक्षम प्राधिकारी कोई और जाँच आवश्यक समझें, करने के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए इलाहाबाद जिले में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – इलाहाबाद

क्रम सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मेजा	(1) कठार	19	0.0200
		(2) सोरांवपाती	762 (मिन्ज)	0.0166
			838 (मिन्ज)	0.0170
			840 (मिन्ज)	0.2250
			841 (मिन्ज)	0.0958
			857 (मिन्ज)	0.2281
			862 (मिन्ज)	0.0678
2	करछना	(1) ब्योहरा	202 (मिन्ज)	0.0750
		(2) बजहा	461 (मिन्ज)	0.1140

ऐसे सर्वे संख्या जहां जिसके अर्जन के लिए अधिसूचित की गई है, और अब अतिरिक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ रही है, और अधिसूचना में सम्मलित किया गया है, उन्हे मिन्ज लिखकर चिन्हित किया गया है।

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/536]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक, (भूमि एवं सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2014

S.O. 2677 (A).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Allahabad in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Special Land Acquisition Officer, Allahabad, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Allahabad in the State of Uttar Pradesh.

Name of District – Allahabad

Sl. No.	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Meja	(1) Kathar	19	0.0200
		(2) Soranwpati	762 (Minj)	0.0166
			838 (Minj)	0.0170
			840 (Minj)	0.2250
			841 (Minj)	0.0958
			857 (Minj)	0.2281
			862 (Minj)	0.0678
(2)	Karchhana	(1) Byohara	202 (Minj)	0.0750
		(2) Bajha	461 (Minj)	0.1140

Those survey No where land for acquisition has been notified earliar and additional area is required and covered in this notification, are marked with suffix (Minj)

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/536]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054